प्रारंभिक परीक्षा

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल

संदर्भ

हाल ही में भारत ने मुंबई में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) निजी क्षेत्र सहयोग मंच (PSCF) 2025 की मेज़बानी की। इसका आयोजन **RRB** और वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था।

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) के बारे में -

- **यह एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने और उससे निपटने के लिए मानक विकसित किए हैं।**
- **मुख्यालय**: पेरिस, फ्रांस।
- **पृष्ठभूमि**: इसकी स्थापना **1989** में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नीतियां विकसित करने के लिए की गई थी।
- **उद्देश्य:**
  - मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करना तथा नीतियों को विकसित करना और बढ़ावा देना।
- **सदस्य: 40** (38 देश + 2 संगठन - यूरोपीय संघ और खाड़ी सहयोग परिषद)
  - प्रमुख देश: अमेरिका, भारत, चीन, सऊदी अरब, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस,
  - भारत **2010** में FATF का सदस्य बना।

FATF सूची -

- **ब्लैक लिस्ट:**
  - इसमें वे देश शामिल हैं जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के लिए सुरक्षित पनाह (सेफ हैवन) माना जाता है।
  - वर्तमान में **ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार** FATF की ब्लैक लिस्ट में हैं।
- **ग्रे लिस्ट**:
  - इसमें वे देश शामिल हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उनके पास मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक (AML) और आतंकवाद वित्तपोषण निरोधक (CFT) व्यवस्थाएं कमज़ोर हैं।
  - यह समावेशन देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि वह ब्लैक लिस्ट में जा सकता है।
- **FATF ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के प्रभाव:**
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (ADB) और यूरोपीय संघ (EU) द्वारा उन देशों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।
  - उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों और बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है।

स्रोत:

- The Hindu - FATF

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

संदर्भ

पिछले एक दशक में DMF के माध्यम से लगभग **1 लाख करोड़** रुपए एकत्र किए गए हैं, लेकिन इस राशि का 50% से अधिक हिस्सा खर्च नहीं किया गया है।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के बारे में -

- **इसे खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था।**
- इसे **(जिला खनिज फाउंडेशन) DMF फंड के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है**, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि खनन राजस्व सीधे प्रभावित समुदायों को लाभान्वित करे।
- **PMKKKY के उद्देश्य:**
    - खनन क्षेत्रों में **स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास** में सुधार करना।
    - महिलाओं और बच्चों के लिए **बेहतर पेयजल, स्वच्छता और कल्याणकारी उपाय** प्रदान करना।
    - प्रभावित जिलों में **आवास और विद्युतीकरण** में सुधार करना।
    - **भूमि बहाली, पुनर्वनीकरण और प्रदूषण नियंत्रण** पर ध्यान देना।
    - खनन से होने वाली **पर्यावरणीय क्षति को कम करने के उपायों** को लागू करना।
- **PMKKKY के तहत फंड आवंटन दिशानिर्देश**: सरकार **DMF** फंड के संतुलित आवंटन को अनिवार्य बनाती है:
    - **60% निधि**: **स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और स्वच्छता** जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए।
    - **40% निधि**: **भौतिक अवसंरचना, सिंचाई और पर्यावरण संरक्षण** जैसी अन्य परियोजनाओं के लिए।

DMF फंड उपयोग में चुनौतियां और मुद्दे -

- **नौकरशाही की अक्षमता और विलंबित कार्यान्वयन:** कई जिलों में खनन प्रभावित समुदायों की जरूरतों की पहचान करने के लिए उचित तंत्र का अभाव है।
- **गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में धन का विचलन:** कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका आदि पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, धन को बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में बदल दिया जाता है जो सीधे खनन प्रभावित लोगों को लाभ नहीं पहुँचाते हैं।
- **पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी का अभाव**: निधि आवंटन पर सीमित सार्वजनिक निगरानी, जिसके कारण दुरुपयोग और कुप्रबंधन होता है।
- **आजीविका और कौशल विकास के लिए निधियों का कम उपयोग**: अल्पकालिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देने से दीर्घकालिक आर्थिक विकास पहलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

स्रोत:

- The Hindu - PMKKKY

मंगल ग्रह की धूल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम से संबद्ध क्यों है?

संदर्भ

हाल ही में हुए एक अध्ययन में मंगल ग्रह की धूल से अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरों पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि नासा और चीनी मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी (CMS) अगले दशक में मंगल मिशन की तैयारी कर रहे हैं।

मंगल ग्रह की धूल की विशेषताएं और जोखिम -

- **मंगल ग्रह के धूल कणों का आकार**:
  - अत्यंत सूक्ष्म, **मानव बाल की चौड़ाई का मात्र 4%।**
  - इतना छोटा कि **फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सके और रक्तप्रवाह में प्रवेश कर सके**, जिससे यह बड़े कणों की तुलना में अधिक खतरनाक हो जाता है।
  - मंगल ग्रह पर **धूल के कण मानव फेफड़ों द्वारा निकाले जा सकने वाले न्यूनतम आकार से भी छोटे हैं, जिससे फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।**
- **मंगल ग्रह की धूल में विषैले घटक:**
  - **सिलिका धूल:** सिलिकोसिस का कारण बनती है, जो कोयला खनिकों में होने वाली एक आम फेफड़ों की बीमारी है।
  - **आयरन धूल:** ऑक्सीडेटिव तनाव और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है।
  - **परक्लोरेट्स**: अत्यधिक विषैले रसायन जो थायरॉयड फ़ंक्शन को प्रभावित करते हैं।
  - **जिप्सम**: एक कैल्शियम सल्फेट खनिज जो श्वसन में जलन पैदा कर सकता है।
  - **भारी धातुएँ**:
    - **क्रोमियम (Cr):** फेफड़ों की बीमारियों और विषाक्तता का कारण बन सकता है।
    - **आर्सेनिक (As):** विषाक्तता और अंग क्षति का कारण माना जाता है।
- **विकिरण जोखिम**: मंगल ग्रह पर कोई सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, जिससे विकिरण जोखिम बढ़ जाता है।
- **लगातार धूल के तूफान**: मंगल ग्रह पर हर मंगल वर्ष में क्षेत्रीय धूल के तूफान आते हैं (जो 686.98 पृथ्वी दिनों तक रहता है)।

स्रोत:

- **Indian Express- Martian Dust**

समाचार में स्थान

तुर्किये

- राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी, इस्तांबुल के मेयर एक्रेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद तुर्की में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

- **अवस्थिति**: यह आंशिक रूप से एशिया और आंशिक रूप से यूरोप में स्थित है।
- **सीमावर्ती देश**: जॉर्जिया, आर्मेनिया ग्रीस, बुल्गारिया, अज़रबैजान, ईरान, इराक और सीरिया।
- **घिरे हुए जल निकाय:** काला सागर, भूमध्य सागर और एजियन सागर।
- **प्रमुख नदियाँ:** यूफ्रेट्स, टिगरिस और किज़िलिरमक।
- **महत्वपूर्ण जलडमरूमध्य**: बोस्फोरस जलडमरूमध्य और डार्डानेल्स जलडमरूमध्य।
- **तुर्की नाटो का सदस्य है। नाटो में अमेरिका के बाद इसकी सेना दूसरी सबसे बड़ी है।**

स्रोत:

- Alja zeera - Turkey

समाचार संक्षेप में

खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधन आयोग (CGFRA)

- **खाद्य एवं कृषि हेतु आनुवंशिक संसाधन आयोग (CGFRA-20) की 20वीं बैठक हाल ही में रोम में आयोजित की गई।**

CGFRA क्या है?

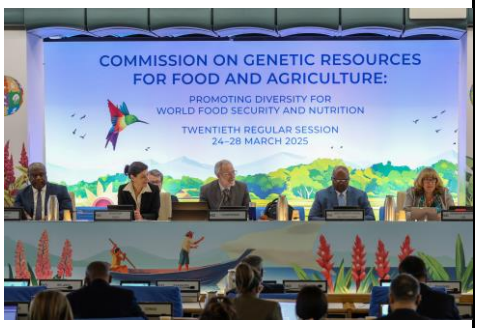

- **CGFRA खाद्य और कृषि के लिए जैव विविधता पर ध्यान देने वाला एकमात्र स्थायी अंतर-सरकारी निकाय है।**
- यह **खाद्य सुरक्षा, मानव कल्याण और आर्थिक विकास** को बढ़ाने के लिए **जैव विविधता के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है**।
- यह आनुवंशिक संसाधनों पर वैश्विक नीतियों का समन्वय करता है तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
- **सदस्य: 179 देश (भारत भी सदस्य है)।**
- **इतिहास:**
    - इसकी स्थापना सर्वप्रथम खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा **1983 में** पादप आनुवंशिक संसाधनों (पीजीआर) से निपटने के लिए की गई थी।
    - 1995 में आयोग के कार्यक्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया, जिससे खाद्य एवं कृषि से संबंधित जैव विविधता के सभी घटकों को इसमें शामिल कर लिया गया।

स्रोत: **Down to Earth - CGFRA**

भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय

- **भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025, लोकसभा द्वारा पारित किया गया।**

राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय के बारे में -

- **इसे गुजरात के आणंद ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (IRMA) में स्थापित किया जाएगा।**
- **विश्वविद्यालय का नाम अमूल के संस्थापक और भारत के सहकारी आंदोलन के अग्रदूत त्रिभुवन काशीभाई पटेल के नाम पर रखा गया है।**
- **संरचना और कार्यप्रणाली:**
    - विश्वविद्यालय हब-एंड-स्पोक मॉडल पर काम करेगा।
    - सभी राज्यों में सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों को विश्वविद्यालय के तहत स्कूल या कॉलेज के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।
    - यह सहकारी अध्ययन में डिग्री, डिप्लोमा और पीएचडी पाठ्यक्रम प्रदान करेगा।
    - अनुमान है कि सालाना 8 लाख लोगों को प्रमाणन प्राप्त होगा।

ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद (IRMA) के बारे में:

- **इसकी स्थापना 1979 में वर्गीज कुरियन (भारत की श्वेत क्रांति के संस्थापक) द्वारा आणंद, गुजरात में की गई थी।**
- इसका उद्देश्य ग्रामीण प्रबंधन में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना और सहकारी क्षेत्र के लिए नेतृत्व विकसित करना है।

तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC2025) घोषित किया है। (विषय - सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है)।**
- केंद्र सरकार द्वारा **जुलाई, 2021 में 'सहकार से समृद्धि'** के मंत्र के साथ **सहकारिता मंत्रालय** बनाया गया था।

स्रोत: **The Hindu - 1st Cooperative University**

BHIM 3.0

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने हाल ही में BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मनी) 3.0 लॉन्च किया है।

BHIM 3.0 की मुख्य विशेषताएं -

- **उन्नत भुगतान सुविधाएँ:**
  - **बिल विभाजन**: उपयोगकर्ता मित्रों और परिवार के साथ बिलों को विभाजित कर सकते हैं, जिससे साझा व्यय अधिक प्रबंधनीय हो जाता है।
  - **व्यय ट्रैकिंग**: उपयोगकर्ता साझा व्यय को ट्रैक कर सकते हैं और विशिष्ट व्यक्तियों को भुगतान सौंप सकते हैं।
  - **टास्क असिस्टेंट**: BHIM ऐप से जुड़े लंबित बिलों के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करने के लिए एक अंतर्निहित अनुस्मारक प्रणाली।

  - **कम इंटरनेट वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूलित:** कमजोर या अस्थिर नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी निर्बाध लेनदेन सुनिश्चित करता है।
- **BHIM वेगा का परिचय:** BHIM वेगा ऐप के भीतर सीधे भुगतान की अनुमति देता है, जिससे तीसरे पक्ष के ऐप पर स्विच करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- **विस्तारित भाषा समर्थन:** अब **15+** भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

स्रोत: **Mint - BHIM 3.0**

RRB ने वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड लाभ हासिल किया

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) ने वित्त वर्ष 2023-24 में ₹7,571 करोड़ का अपना अब तक का सर्वाधिक समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के बारे में -

- RRB का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर छोटे किसानों, कारीगरों, ग्रामीण उद्यमियों और समाज के कमजोर वर्गों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है।
- **इसकी स्थापना ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर, 1976 के आरआरबी अधिनियम के तहत की गई है।**
- **स्वामित्व संरचना:** केंद्र सरकार (50%), राज्य सरकार (15%), और प्रायोजक बैंक (35%)।
- **विनियमन:** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित और नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित।
- **भारत का पहला RRB - प्रथम ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी।**
- **RRB का प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य - 75%**

स्रोत: **PIB - RRB**

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 की धारा-44(3)

- **DPDP अधिनियम आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) को संशोधित करता है, जो व्यक्तिगत सूचना को प्रकटीकरण से छूट देने से संबंधित है।**
- इससे पहले, धारा 8(1)(j) में कहा गया था कि व्यक्तिगत मामलों से संबंधित जानकारी का खुलासा किया जा सकता है, यदि यह व्यापक सार्वजनिक हित में हो और "निजता का अनुचित उल्लंघन" न हो।
- DPDP अधिनियम **इस खंड को एक व्यापक छूट के साथ प्रतिस्थापित करता है,** जो **केवल यह कहता है कि कोई भी "व्यक्तिगत जानकारी" प्रकटीकरण से मुक्त है, तथा "व्यापक सार्वजनिक हित" परीक्षण को हटा देता है**।

कार्यकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताएँ -

- **सार्वजनिक सूचना तक पहुंच पर प्रतिबंध:** पिछले प्रावधान में व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति दी गई थी, यदि यह सार्वजनिक हित में हो (उदाहरण के लिए, सरकारी अधिकारियों की संपत्ति और देनदारियां)।
- **आरटीआई निर्णयों और मिसालों पर प्रभाव:** पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों के कई निर्णय **धारा 8(1)(j)** में **"सार्वजनिक हित" खंड पर आधारित रहे हैं**।
    - **नया प्रावधान ऐसे डेटा तक पहुंच की अनुमति देने के विवेकाधिकार को समाप्त कर देता है, जिससे पिछले फैसले प्रभावित होंगे।**

स्रोत: **Indian Express - Section 44(3)**

संपादकीय सारांश

भारत का वैज्ञानिक प्रकाशन

संदर्भ

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि "भारत 2029 तक वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या में अमेरिका से आगे निकल जाएगा"।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या के मामले में भारत (2,07,390) तीसरे स्थान पर है, जो चीन (8,98,949) और अमेरिका (4,57,335) से पीछे है।
- उच्च उत्पादन के बावजूद, चीन का अनुसंधान मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में उल्लेखनीय है, तथा शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारी निवेश से समर्थित है।

भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान प्रकाशनों से आगे निकलने की चुनौतियाँ -

- **अनुसंधान एवं विकास में कम निवेश:** भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल **0.67%** अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करता है, जो अन्य अग्रणी देशों की तुलना में काफी कम है:
    - इजराइल – 6.30%, दक्षिण कोरिया – 4.9%, अमेरिका – 3.46%, चीन – 2.4%, आदि।
    - वित्त पोषण की कमी से शोधकर्ताओं के लिए संसाधनों, बुनियादी ढांचे और प्रोत्साहनों की उपलब्धता सीमित हो जाती है।
- **शोध आउटपुट की खराब गुणवत्ता:** भारत का सीएनसीआई (श्रेणी सामान्यीकृत उद्धरण प्रभाव) मूल्य **0.879 है** , जबकि चीन के लिए यह 1.12 और अमेरिका के लिए 1.25 है।
- **शीर्ष स्तरीय पत्रिकाओं में कम प्रतिनिधित्व:** भारतीय शोधकर्ता उच्च प्रभाव वाली अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं की तुलना में कम प्रभाव वाली पत्रिकाओं में अधिक प्रकाशन करते हैं।
    - उच्च गुणवत्ता वाले, नवीन अनुसंधान का अभाव भारतीय प्रकाशनों के वैश्विक प्रभाव को कम करता है।
- **कमजोर अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र:** शिक्षा जगत, उद्योग और सरकारी संस्थानों के बीच अपर्याप्त सहयोग।
    - प्रतिस्पर्धी अनुसंधान संस्कृति का अभाव तथा अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए उद्योग द्वारा न्यूनतम वित्तपोषण।
    - प्रकाशन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणवत्ता की अपेक्षा मात्रा पर अधिक जोर दिया गया।
- **सीमित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** चीन और अमेरिका की तुलना में वैश्विक संस्थानों के साथ कम संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं
    - भारतीय शोधकर्ताओं के लिए वैश्विक वित्तपोषण और बुनियादी ढांचे तक पहुंच के अवसर सीमित हैं।
- **नैतिक मुद्दे और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार:** साहित्यिक चोरी, भुगतान किए गए प्रकाशन, और शिकारी पत्रिकाओं में प्रकाशन की उच्च घटनाएं।
    - ओमिक्स मामले (हैदराबाद स्थित समूह पर 50 मिलियन डॉलर का जुर्माना) ने धोखाधड़ीपूर्ण अनुसंधान प्रथाओं के पैमाने को उजागर किया।
    - ग्राहकवाद और राजनीतिक हस्तक्षेप अनुसंधान की अखंडता और जवाबदेही को कमजोर करते हैं।

क्या किया जाने की जरूरत है -

- **अनुसंधान एवं विकास निवेश में वृद्धि:** वैश्विक मानकों के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम **2% तक बढ़ाना।**

  - अनुसंधान वित्तपोषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी और उद्योग-अकादमिक साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
- **मात्रा की अपेक्षा गुणवत्ता पर ध्यान देना:** अनुसंधान आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार के लिए सख्त सहकर्मी-समीक्षा और प्रकाशन मानक स्थापित करना।
  - प्रकाशनों की संख्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उच्च प्रभाव वाली पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करना।
- **अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना:** विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अनुसंधान बुनियादी ढांचे और विश्व स्तरीय प्रयोगशालाओं का विकास करना।
  - प्रतिस्पर्धी अनुदान और फेलोशिप के माध्यम से अनुसंधान उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देना।
  - अंतर-विषयक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं आदान-प्रदान:** अग्रणी अनुसंधान देशों के साथ संयुक्त अनुसंधान के लिए अधिक द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करना।
  - शोधकर्ता विनिमय कार्यक्रमों और वैश्विक अनुसंधान प्लेटफार्मों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना।
- **नैतिक और प्रणालीगत मुद्दों का समाधान:** अनुसंधान की अखंडता की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की नियामक संस्था की स्थापना करना।
  - कठोर प्रवर्तन के माध्यम से शिकारी पत्रिकाओं और धोखाधड़ी प्रथाओं को दंडित करना।
  - प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नैतिक अनुसंधान प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।

स्रोत: **The Hindu: The issue is about the 'quality' of India's publications**

जल संरक्षण में समुदायों की भूमिका

संदर्भ

विश्व जल दिवस (22 मार्च) पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान और भावी पीढ़ियों दोनों के लिए जल संरक्षण के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

जल शक्ति मंत्रालय ने इसी दिन **जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2025 का** शुभारंभ किया, जिसमें जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

जल संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका -

- **पारंपरिक ज्ञान और प्रथाएं**: स्वदेशी समुदायों के पास गहन पारिस्थितिक ज्ञान और पारंपरिक प्रथाएं हैं, जैसे वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और वाटरशेड प्रबंधन, जो जल संरक्षण में मदद करते हैं।
- **सहभागी प्रबंधन: स्थानीय समुदाय, जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यूयूए)** जैसी संस्थाओं के माध्यम से, सिंचाई और जल स्रोतों के प्रबंधन में शामिल होते हैं, जिससे संसाधनों का बेहतर आवंटन और उपयोग सुनिश्चित होता है।
- **पारिस्थितिकी संरक्षण: पश्चिमी भारत में ओरण (पवित्र वन)** स्थापित करने जैसी प्रथाएं वनस्पति आवरण को बढ़ाकर, अपवाह को कम करके और भूजल पुनर्भरण में सुधार करके जल संरक्षण को बढ़ावा देती हैं।
- **निगरानी और रखरखाव**: समुदाय जल अवसंरचना (जैसे, कुएं, तालाब, टैंक) को बनाए रखने और संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन**: स्थानीय समुदाय प्रायः जलवायु संबंधी जल चुनौतियों का अनुभव करने वाले पहले समुदाय होते हैं तथा अपनी कृषि और जल उपयोग पद्धति में परिवर्तन करके अनुकूलन करते हैं।
- **सतत उपयोग को बढ़ावा देना**: सामूहिक कार्रवाई और सामाजिक मानदंडों के माध्यम से, समुदाय जल संसाधनों के अति-निष्कर्षण और अपव्यय को रोक सकते हैं।

जल संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करने की चुनौतियाँ -

- **सीमित निर्णय लेने की शक्ति**: जबकि समुदाय जल संसाधनों के प्रबंधन में शामिल होते हैं, निर्णय लेने का अधिकार राज्य प्राधिकारियों के पास रहता है, जिससे प्रमुख नीतियों पर उनका प्रभाव कम हो जाता है।
- **खंडित शासन**: पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न भागों (जल, भूमि, वन, जैव विविधता) को अलग-अलग नीतियों और प्राधिकरणों द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप खराब समन्वय और अप्रभावी परिणाम सामने आते हैं।
- **पारंपरिक ज्ञान की मान्यता का अभाव**: स्वदेशी और स्थानीय पारिस्थितिक प्रथाओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है या उनके स्थान पर मानकीकृत जल प्रबंधन दृष्टिकोण अपना लिए जाते हैं, जिससे उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है।
- **कमजोर संस्थागत ढांचा**: **जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यूयूए) जैसी संस्थाओं** के पास वित्तीय और तकनीकी सहायता का अभाव है, जिससे जल संसाधनों का प्रबंधन प्रभावी ढंग से करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **सामाजिक एवं आर्थिक हाशिये पर होना**: हाशिये पर पड़ी जातियों और महिलाओं सहित कमजोर समूहों को सामाजिक असमानताओं और आर्थिक निर्भरता के कारण जल प्रशासन में भाग लेने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **जलवायु परिवर्तन प्रभाव**: वैश्विक तापमान में वृद्धि और अप्रत्याशित वर्षा पैटर्न के कारण जल की कमी और मौजूदा प्रणालियों पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय समुदायों के लिए अनुकूलन करना कठिन हो रहा है।

नीति निर्माता अपनी भूमिका कैसे बढ़ा सकते हैं -

- **निर्णय लेने को सशक्त बनाना**: निर्णय लेने की शक्तियों को राज्य प्राधिकारियों से स्थानीय समुदायों को हस्तांतरित करना, यह सुनिश्चित करना कि जल प्रशासन में उनकी भी बात सुनी जाए।
- **पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करना**: राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जल नीतियों में स्वदेशी जल संरक्षण प्रथाओं को मान्यता दें और उन्हें औपचारिक रूप देना।
- **जल उपयोगकर्ता संघों (WUAs) को मजबूत बनाना**: सिंचाई प्रणालियों के बेहतर प्रबंधन के लिए WUAs को तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और अधिक स्वायत्तता प्रदान करना।
- **एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देना**: ऐसी जल नीतियां विकसित करना जो जल, भूमि, वन और जैव विविधता की अन्योन्याश्रयता पर विचार करें।
- **कमजोर समूहों को समर्थन प्रदान करना**: ऐसी नीतियां तैयार करना जो सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों की जरूरतों को पूरा करें तथा निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें।
- **क्षमता निर्माण और जागरूकता**: जल संरक्षण में स्थानीय समुदायों के ज्ञान और तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करना।

स्रोत: **The Hindu: The role of communities in conserving water**

भारत की जैव अर्थव्यवस्था की स्थिति

संदर्भ

जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, भारत की जैव अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रकाश डालती है।

भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्थिति -

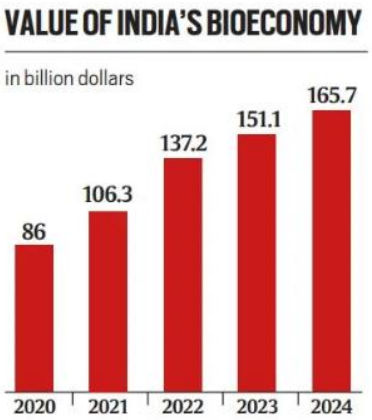

- **वर्तमान मूल्य और विकास: 2024** में भारत की जैव अर्थव्यवस्था का मूल्य **165** बिलियन डॉलर था, जो सकल घरेलू उत्पाद में **4.2%** का योगदान देता है।
    - यह क्षेत्र 2020 के 86 बिलियन डॉलर से लगभग दोगुना हो गया है।
    - अनुमान है कि- 2030 तक यह 300 बिलियन डॉलर तथा 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा।
- **प्रमुख योगदानकर्ता**
    - **औद्योगिक क्षेत्र:** जैव ईंधन, बायोप्लास्टिक्स और जैव-आधारित रसायनों के माध्यम से जैव अर्थव्यवस्था के मूल्य का लगभग आधा हिस्सा (**$** 78 बिलियन) प्राप्त होता है।
    - **फार्मास्युटिकल क्षेत्र:** मुख्य रूप से वैक्सीन उत्पादन से **35%** का योगदान देता है।
    - **अनुसंधान और IT: 2024** में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र, जिसमें बायोटेक सॉफ्टवेयर विकास, नैदानिक परीक्षण एवं जैव सूचना विज्ञान शामिल हैं।

जैवअर्थव्यवस्था क्या है?

• यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जैविक संसाधनों (जैसे- पौधे, जीव और सूक्ष्मजीव) तथा जैविक प्रक्रियाओं के उपयोग से उत्पन्न आर्थिक गतिविधि को संदर्भित करता है।

• इसमें औद्योगिक, कृषि और स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोगों के लिए जैव संसाधनों का सतत उपयोग शामिल है, जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए आर्थिक विकास में योगदान देता है।

• मुख्य विशेषताएं:

- नवीकरणीय जैविक संसाधनों का उपयोग करता है।
- स्थायी एवं पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
- अपशिष्ट को न्यूनतम करके और संसाधन दक्षता को अधिकतम करके, चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को प्रोत्साहित करता है।
- जैव ईंधन, बायोप्लास्टिक्स और बायोफार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देता है।

• घटक:

- **औद्योगिक जैव अर्थव्यवस्था:** इसमें विनिर्माण और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए जैविक प्रक्रियाओं तथा जैव संसाधनों का उपयोग शामिल है।
    - **उदाहरण:** जैव ईंधन, बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल रसायन और औद्योगिक एंजाइम।
- **कृषि जैव अर्थव्यवस्था:** जैव प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके, कृषि उत्पादकता एवं स्थिरता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है।
    - **उदाहरण:** आनुवंशिक रूप से संशोधित (**GM**) फसलें, जैव-उर्वरक और जैव-कीटनाशक।
- **स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्युटिकल जैव अर्थव्यवस्था:** औषधि विकास, चिकित्सा उपचार और स्वास्थ्य देखभाल नवाचारों के लिए जैविक संसाधनों का उपयोग करता है।
    - **उदाहरण:** टीके, बायोमेडिसिन, जीन थेरेपी और निदान।

- **समुद्री और जलीय जैव अर्थव्यवस्था:** जैव-आधारित उत्पादों को विकसित करने के लिए, समुद्री एवं जलीय जीवों का उपयोग शामिल है।
  - **उदाहरण:** समुद्र से प्राप्त औषधियाँ, शैवाल से प्राप्त जैव ईंधन और समुद्री एंजाइम।
- **पर्यावरण जैव अर्थव्यवस्था:** जैविक समाधानों का उपयोग करके, पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
  - **उदाहरण:** बायोरेमेडिएशन (प्रदूषण को साफ करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग), अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण और कार्बन कैप्चर।
- **अनुसंधान और जैव सूचना विज्ञान:** जैव प्रौद्योगिकी, सिंथेटिक जीव विज्ञान और डेटा-संचालित जैविक समाधानों में अनुसंधान के माध्यम से, जैव अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है।
  - **उदाहरण:** जैव सूचना विज्ञान का उपयोग करते हुए जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंथेटिक जीव विज्ञान और नैदानिक परीक्षण।

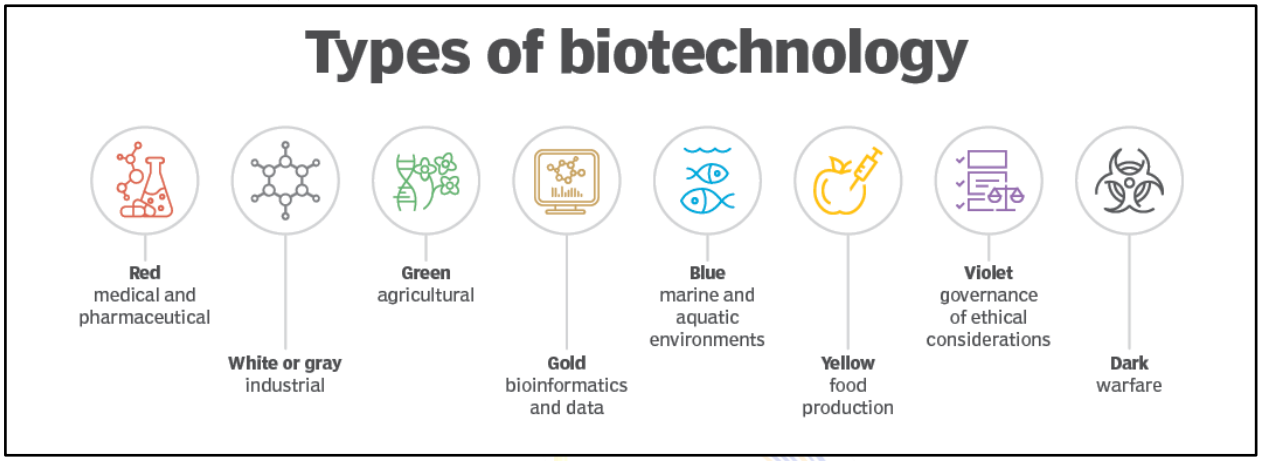

जैव अर्थव्यवस्था के विकास के कारण -

- **स्थायी समाधानों की बढ़ती मांग:** जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण क्षरण और संसाधनों की कमी पर बढ़ती चिंताओं ने, पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों की आवश्यकता को बढ़ा दिया है।
  - जैव-आधारित उत्पाद, जैसे- बायोप्लास्टिक्स और जैव ईंधन, जीवाश्म-आधारित उत्पादों के लिए स्थायी प्रतिस्थापन प्रदान करते हैं।

TOP CONTRIBUTING STATES (IN 2024)

State	Value*	Share of total value
Maharashtra	35.45	21.4%
Karnataka	32.4	19.5%
Telangana	19.9	12%
Gujarat	12.9	7.8%
Andhra Pradesh	11.1	6.7%
Tamil Nadu	9.9	6%
Uttar Pradesh	7.7	4.6%

*in billion $. Source: India BioEconomy Report

- **जैव प्रौद्योगिकी में तकनीकी प्रगति:** जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंथेटिक जीवविज्ञान और जैव सूचना विज्ञान जैसे क्षेत्रों में तीव्र प्रगति ने, जैव-आधारित समाधानों के दायरे का विस्तार किया है।
  - **CRISPR** जीन संपादन और माइक्रोबियल किण्वन में नवाचारों ने, जैव-निर्माण की दक्षता में सुधार किया है।
- **निवेश और सरकारी समर्थन में वृद्धि:** सरकारें, नीतियों एवं वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से, जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही हैं।
  - भारत की **BioE3** नीति (**2024**) का लक्ष्य, भारत को वैश्विक जैव-विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
  - जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (**BIRAC**), वित्तपोषण और बुनियादी अवसंरचना सहायता प्रदान करती है।
- **जैव-आधारित उद्योगों का विस्तार:** जैव ईंधन, बायोप्लास्टिक्स और बायोफार्मास्यूटिकल्स जैसे उद्योगों में वृद्धि ने, जैव-अर्थव्यवस्था मूल्य को बढ़ावा दिया है।
  - **उदाहरण:** इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के कारण, जैव ईंधन के लिए भारत का इथेनॉल उत्पादन बढ़ा है।
  - टीकों और बायोमेडिसिन के उत्पादन में वृद्धि ने भी, विकास को गति प्रदान की है।

• **जैवसंसाधनों की लागत-प्रभावशीलता और स्थानीय उपलब्धता:** पादपों और सूक्ष्मजीवों जैसे जैवसंसाधन, नवीकरणीय व अपेक्षाकृत सस्ते एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं।
  - जैव-आधारित उत्पादन प्रक्रियाएं प्रायः पारंपरिक तरीकों की तुलना में, अधिक ऊर्जा-कुशल और कम प्रदूषणकारी होती हैं।

• **एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर वैश्विक परिवर्तन:** अपशिष्ट को कम करना और संसाधनों के पुन: उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, जैव अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप है।
  - जैव-आधारित उद्योग अपशिष्ट को, मूल्यवान उत्पादों (जैसे- अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएँ) में परिवर्तित करके, चक्रीय अर्थव्यवस्था लक्ष्यों में योगदान करते हैं।

भारत की जैव अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ -

- **नियामक अनिश्चितता:** जैव प्रौद्योगिकी नवाचारों के लिए स्पष्ट एवं सुसंगत नियामक संरचना का अभाव।
  - आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों को मंजूरी देने में निरंतर अनिच्छा से, कृषि उत्पादकता सीमित हो जाती है।
  - जटिल अनुमोदन प्रक्रियाएँ और विलंब, जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के व्यावसायीकरण में बाधा उत्पन्न करती हैं।

• **क्षेत्रीय असंतुलन:** जैव अर्थव्यवस्था का विकास महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में केंद्रित है, जो इस क्षेत्र के मूल्य में दो-तिहाई से अधिक का योगदान करते हैं।
  - पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, कुल जैव अर्थव्यवस्था मूल्य का 6% से भी कम उत्पन्न करते हैं।

• **सीमित अनुसंधान और विकास निवेश:** अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ जैसे वैश्विक नेताओं की तुलना में, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार के लिए अपर्याप्त धन।

• **कुशल कार्यबल का आभाव:** जैव सूचना विज्ञान, सिंथेटिक जीव विज्ञान और जैव विनिर्माण में प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी।

आगे की राह

नीतिगत कमियों को दूर करके (जैसे- राष्ट्रीय जैव-अर्थव्यवस्था मिशन की स्थापना, जैव-प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए सिंगल-विंडो मंजूरी प्रणाली निर्मित करना), बुनियादी अवसंरचना में सुधार, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय असंतुलन को कम करके, भारत जैव-अर्थव्यवस्था क्षेत्र में उच्च विकास दर को बनाए रख सकता है।

स्रोत: **Indian Express: Status of India's bioeconomy, how to sustain further growth**

न्यायालय को NJAC पर पुनर्विचार करना चाहिए

संदर्भ

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर नोटों के बंडल मिलने से, न्यायिक नियुक्तियों पर बहस पुनः प्रारंभ हो गई है।

न्यायिक नियुक्तियों के लिए संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 124:** सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है**,** जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश (**CJI**) सहित अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करना होता है।
- **अनुच्छेद 217:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा **CJI,** राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाती है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

1950: प्रारंभ में, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और अन्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति CJI के परामर्श के बाद की।

प्रारंभिक प्रथा: सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को आम तौर पर अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना जाता था, हालांकि कुछ उल्लेखनीय अपवाद भी रहे, जैसे कि 1973 में न्यायमूर्ति ए.एन. रे की नियुक्ति के कारण मतभेद उत्पन्न हुए।

न्यायिक निर्णय

प्रथम न्यायाधीश मामला (1981)- एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ: इसमें "परामर्श" को सरकार की सहमति की आवश्यकता न होने के रूप में परिभाषित किया गया, जिससे मुख्य न्यायाधीश की सलाह बाध्यकारी नहीं रही।

द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993) - एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ: व्याख्या को बदलकर "सहमति" कर दिया गया, जिससे मुख्य न्यायाधीश की सलाह बाध्यकारी हो गई, तथा सलाह वरिष्ठ न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम के माध्यम से तैयार की गई।

तृतीय न्यायाधीश मामला (1998): सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए कॉलेजियम संरचना की स्थापना की गई
सुप्रीम कोर्ट: CJI और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश
उच्च न्यायालय: मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में अनुभवी सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से।

चतुर्थ न्यायाधीश मामला (2015) - सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन मामला: नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता पर जोर देते हुए NJAC को असंवैधानिक घोषित किया गया।

99वें संविधान संशोधन का उद्देश्य कॉलेजियम के स्थान पर NJAC की स्थापना करना था, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री, प्रतिष्ठित व्यक्ति, मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होंगे।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

- **पृष्ठभूमि:**
  - भारत में न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के तीन महत्वपूर्ण निर्णयों (प्रथम, द्वितीय और तृतीय न्यायाधीश मामले) के माध्यम से विकसित हुई।
  - **भारत के मुख्य न्यायाधीश** (**CJI**) के नेतृत्व में और वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बने कॉलेजियम को उच्च न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय) में न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्राथमिकता दी गई।
  - समय के साथ, कॉलेजियम प्रणाली की **अस्पष्ट, गैर-जवाबदेह और पारदर्शिता की कमी** के लिए आलोचना की गई।
- **NJAC का गठन**: न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के लिए**,** संविधान (**99**वां संशोधन) अधिनियम**, 2014** और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (**NJAC)** अधिनियम**, 2014** को अगस्त **2014** में संसद द्वारा पारित किया गया था।
  - **NJAC** का उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली को सरकार और नागरिक समाज को शामिल करते हुए अधिक संतुलित और पारदर्शी तंत्र से प्रतिस्थापित करना था।
- **NJAC की संरचना**: **NJAC** को एक **संवैधानिक निकाय** के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें शामिल थे:
  - **भारत के मुख्य न्यायाधीश** - अध्यक्ष (पदेन)
  - **सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश** - सदस्य (पदेन)
  - **केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री** - सदस्य (पदेन)
  - **नागरिक समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति** - मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यकों या महिलाओं में से एक) से मिलकर बने पैनल द्वारा नामित।
- **शक्तियाँ और कार्य:**
  - **NJAC सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों** में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करेगा।
  - **NJAC** के कोई भी **दो सदस्य** किसी **सिफारिश से असहमत** होने पर उसे **वीटो कर** सकते हैं।
  - नियुक्तियों के मानदंडों में **वरिष्ठता, योग्यता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व** शामिल थे।

प्रस्तावित नियुक्ति संस्था की संरचना के लिए सिफारिशें

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007)

- **न्यायपालिका**: भारत के मुख्य न्यायाधीश (**CJI**) और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
- **कार्यपालिका**: उपराष्ट्रपति (अध्यक्ष के रूप में कार्यरत), प्रधानमंत्री, विधि मंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री।
- **विधानमंडल**: लोकसभा के अध्यक्ष और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता।
- **अतिरिक्त प्रतिनिधि**: कोई नहीं।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (2005)

- **न्यायपालिका**: भारत के मुख्य न्यायाधीश (**CJI**) और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
- **कार्यपालिका**: उपराष्ट्रपति (अध्यक्ष के रूप में कार्यरत), प्रधानमंत्री (या नामित व्यक्ति), विधि मंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री।
- **विधानमंडल**: लोकसभा अध्यक्ष और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता।
- **अतिरिक्त प्रतिनिधि**: कोई नहीं।

संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) (2002)

- **न्यायपालिका**: भारत के मुख्य न्यायाधीश (**CJI**) अध्यक्ष के रूप में, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश।
- **कार्यपालिका**: केंद्रीय विधि मंत्री।
- **विधानमंडल**: कोई प्रतिनिधित्व नहीं।
- **अतिरिक्त प्रतिनिधि**: एक प्रतिष्ठित व्यक्ति।

• विधि आयोग (1987)

- **न्यायपालिका**: भारत के मुख्य न्यायाधीश (**CJI**) अध्यक्ष के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश, **CJI** के तत्काल पूर्ववर्ती, उच्च न्यायालयों के तीन वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
- **कार्यपालिका**: विधि मंत्री, भारत के महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री।
- **विधानमंडल**: कोई प्रतिनिधित्व नहीं।
- **अतिरिक्त प्रतिनिधि**: विधि में एक अकादमिक विशेषज्ञ।

NJAC को क्यों खारिज किया गया -

- **NJAC को उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2015 में (4:1 बहुमत) इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है।**
- **न्यायिक स्वतंत्रता**: न्यायालय ने फैसला दिया कि न्यायिक स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।
  - नियुक्तियों में सरकार और गैर-न्यायिक सदस्यों को बोलने का अधिकार देने से न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता होगा।
- **वीटो पावर का मुद्दा**: दो **NJAC** सदस्यों (विधि मंत्री या गैर-न्यायाधीशों सहित) को नियुक्तियों को वीटो करने की अनुमति देने वाले प्रावधान ने संभावित कार्यपालिका के अतिक्रमण के बारे में चिंता जताई।
  - इससे सरकार को मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा समर्थित नियुक्तियों को रोकने की अनुमति मिल जाती, जिससे न्यायिक प्रधानता कमज़ोर हो जाती।
- **संभावित गतिरोध**: **NJAC** में संभावित **3-3 गतिरोध** (तीन न्यायाधीश बनाम तीन गैर-न्यायाधीश) नियुक्ति प्रक्रिया को रोक सकता था।
  - उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने सुझाव दिया कि **मुख्य न्यायाधीश को निर्णायक मत का अधिकार देने से** यह मुद्दा हल हो सकता था।
- **न्यायिक प्रधानता का उल्लंघन**: कॉलेजियम प्रणाली ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका को अंतिम अधिकार दिया।

- **NJAC** ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में गैर-न्यायिक सदस्यों और विधि मंत्री को शामिल करके इस प्रधानता को कमजोर कर दिया।

- **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को खतरा**: न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को महत्वपूर्ण भूमिका देकर, **NJAC** को **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करने** के रूप में देखा गया।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वैश्विक पद्धतियाँ

- **कनाडा**: संघीय न्याय मंत्री नियुक्तियों की पहल करते हैं, जिसका मूल्यांकन कनाडाई बार एसोसिएशन द्वारा किया जाता है।
- **जर्मनी**: कार्यपालिका और विधायी शाखाओं के बीच सहयोगात्मक नियुक्ति प्रक्रिया।
- **यूएसए**: राष्ट्रपति पद के नामांकन की सीनेट द्वारा पुष्टि की जाती है।
- **फ्रांस**: न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका की उच्च परिषद और न्याय मंत्री शामिल होते हैं।
- **यूके**: उच्चतम न्यायालय के प्रतिनिधियों सहित एक आयोग द्वारा नियुक्तियाँ की जाती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय को NJAC पर पुनर्विचार क्यों करना चाहिए-

- **न्यायिक स्वतंत्रता बनाम कार्यपालिका निरीक्षण का मुद्दा**: अनुच्छेद **124** मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति **राष्ट्रपति** को देता है, जो **भारत के मुख्य न्यायाधीश (**CJI**)** के परामर्श के बाद **मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य** करते हैं।
  - "**परामर्श" से "सहमति"** (दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामलों के माध्यम से) में बदलाव ने न्यायपालिका को न्यायिक नियुक्तियों पर सर्वोच्चता प्रदान की, जिससे कार्यपालिका को दरकिनार कर दिया गया।
  - **NJAC** सरकार और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक बहु-हितधारक तंत्र शुरू करके संतुलन पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास था।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने **NJAC** को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसने न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किया, लेकिन यह निष्कर्ष विवादित बना हुआ है।
- **कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी**: कॉलेजियम प्रणाली की व्यापक रूप से आलोचना की गई है:
  - **अस्पष्ट निर्णय-निर्माण** - न्यायाधीशों के चयन या अस्वीकृति के लिए कोई स्पष्ट मानदंड नहीं।
  - **सार्वजनिक जवाबदेही का अभाव** - नियुक्तियों/अस्वीकृति के कारणों या विचार-विमर्श का कोई औपचारिक रिकॉर्ड प्रकाशित नहीं किया जाता।
  - **पक्षपात के आरोप** - न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता के स्थान पर व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर की जाती है।
- **NJAC पर संसदीय सहमति**: **NJAC** को भारी समर्थन के साथ पारित किया गया:
  - संसद में सर्वसम्मति से केवल एक असहमतिपूर्ण मत (राम जेठमलानी) के साथ स्वीकृति।
  - **16** राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित।
  - इस तरह के व्यापक रूप से समर्थित संवैधानिक संशोधन को खारिज करने से **न्यायपालिका द्वारा अपने अधिकार का अतिक्रमण करने** संबंधी चिंताएँ पैदा हुईं।
- **NJAC ने एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया**: **NJAC** में हितधारकों का मिश्रण शामिल था:
    - भारत के मुख्य न्यायाधीश + सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश → न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की।
    - केंद्रीय विधि मंत्री → नियुक्तियों में सरकार की भूमिका का प्रतिनिधित्व किया।
    - दो प्रतिष्ठित व्यक्ति → बाहरी, गैर-राजनीतिक दृष्टिकोण लाए।
  - इस प्रणाली का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक जवाबदेही के साथ संतुलित करना था - एक अधिक समग्र और पारदर्शी प्रक्रिया थी।

- **न्यायपालिका के भीतर असंतोष**: न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने बाद में **NJAC** को समाप्त करने में अपनी भूमिका पर खेद व्यक्त किया, उन्होंने स्वीकार किया कि कॉलेजियम प्रणाली की निरंतर विफलताओं ने निर्णय पर पुनर्विचार करने को उचित ठहराया।
- **अधिक पारदर्शी और जवाबदेह नियुक्ति प्रणाली की आवश्यकता**: न्यायिक स्वतंत्रता का मतलब सार्वजनिक जवाबदेही से अलगाव नहीं होना चाहिए।
    - एक सुधारित **NJAC -जैसी संरचना सुनिश्चित कर सकती** है:
        - चयन के लिए पारदर्शी मानदंड।
        - नियुक्ति के कारणों का सार्वजनिक खुलासा।
        - न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किए बिना कार्यपालिका और नागरिक समाज की अधिक भागीदारी।

स्रोत:

- **Indian Express: Why NJAC was struck down by the Supreme Court, can it be brought back?**
- **Indian Express: Court Must Revisit NJAC**